भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1319

उत्तर देने की तारीख- 28/07/2025

सोमवार, 6 श्रावण, 1947 (शक)

बिहार में कौशल विकास योजनाएँ

1319. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कौशल प्रशिक्षण योजनाओं की प्रगति और परिणाम जानने के लिए कोई संपरीक्षा आयोजित की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई निधि का योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिहार में, विशेषकर किशनगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, कौशल विकास योजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बिहार राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनःकौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन (सिम) का उद्देश्य, भारत के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित और भविष्य के लिए तैयार करना है।

कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव का आकलन उनके तृतीय पक्ष द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में किया गया था। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित और अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक

रोजगार में रखे गए और आरपीएल घटक के तहत उन्मुख 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को अधिक वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने अप्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

एमएसडीई की अन्य योजनाओं के संबंध में, तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्टों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में सफलता का उल्लेख किया गया है। इनका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

जेएसएस: वर्ष 2020 में जेएसएस योजना पर किए गए मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने उन लाभार्थियों की घरेलू आय लगभग दोगुनी करने में मदद की है जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोज़गार मिला है या वे स्व-रोज़गार में लगे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस योजना की उपयोगिता इस तथ्य से और भी स्पष्ट होती है कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षुओं ने अपना व्यवसाय बदल लिया है। अध्ययन से यह भी पुष्टि हुई है कि इस योजना में कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य स्व-रोज़गार को बढ़ावा देना है।

एनएपीएस: 2021 में किए गए एनएपीएस के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि इस योजना ने संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की रोज़गार क्षमता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है, और विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षुओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। योजना के नए संस्करण में, सरकार के हिस्से को सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

आईटीआई: एमएसडीई द्वारा 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार मिला (जिनमें से 6.7% स्व-नियोजित हैं)।

(ग): पीएमकेवीवाई के अंतर्गत धनराशि निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती है। जेएसएस योजना के अंतर्गत, धनराशि गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सीधे जारी की जाती है। एनएपीएस के अंतर्गत, प्रशिक्षुओं को 1500/- रुपये प्रति माह तक की वजीफा सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी की जाती है, न कि संबंधित संस्थानों को। आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

एमएसडीई की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

योजना(एँ)	**राशि (करोड़ रुपये में)**
पीएमकेवीवाई (2015-16 से 30.06.2025 तक)	10,292.97
एनएपीएस (2018-19 से 31.03.2025 तक)	1823.08
जेएसएस (2018-19 31.03.2025 तक)	873.94

(घ) : बिहार राज्य तथा इसके किशनगंज और पूर्णिया जिलों में एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

योजना(एँ)	अखिल भारतीय	बिहार	किशनगंज और पूर्णिया जिले
पीएमकेवीवाई (2015-16 से 30 जून, 2025 तक)	1,64,07,263	7,59,846	34,181
जेएसएस योजना (2018-19 से 31 मार्च, 2025 तक)	30,93,884	2,07,094	12,517
एनएपीएस (2018-19 से 31 मार्च, 2025 तक)	38,02,801	25,489	1,292
सीटीएस (2018-19 से 31 मार्च, 2025 तक)	92,66,381	7,68,001	8,778

एमएसडीई की योजनाओं में, 2015-16 से 2021-22 तक लागू किए गए पहले तीन संस्करणों (पीएमवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) में पीएमकेवीवाई के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत प्लेसमेंट को ट्रैक किया गया। पीएमकेवीवाई (1.0, 2.0 और 3.0) के तहत, बिहार राज्य में 1,27,855 प्रशिक्षित उम्मीदवारों और किशनगंज और पूर्णिया जिलों में 6,393 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

*****